स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या 104, दिनांक 09–04–2025

दिनांकः 28–03–2025 को थाना क्षेत्र विकासनगर जनपद लखनऊ में कारोबारी के साथ हुई लूट की घटना में वांछित रु 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त वैभव सिंह थाना क्षेत्र पी0जी0आई0 अन्तर्गत हुई साहसिक मुठभेड़ में गिरफ्तार।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को दिनांक 28–03–2025 को थाना क्षेत्र विकासनगर जनपद लखनऊ में कारोबारी के साथ हुई लूट की घटना में वांछित रु0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त वैभव सिंह को थाना क्षेत्र पी0जी0आई0 अन्तर्गत हुई साहसिक मुठभेड़ के उपरान्त गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– वैभव सिंह उर्फ़ चन्दन उर्फ़ विराज पुत्र कृष्ण कुमार सिंह नि0–मझगवां रामगुलाम पोस्ट–थोकमाधव थाना बघौली जनपद हरदोई।

बरामदगीः–

1– 01 अदद अवैध पिस्टल .30 बोर।
2– 03 अदद जिन्दा कारतूस .30 बोर।
3– 03 अदद खोखा कारतूस .30 बोर।
4– 01 अदद पल्सर मोटर साइकिल (विकासनगर की घटना में प्रयुक्त)
5– 01 अदद बैग।
6– 02 अदद मोटर साइकिल का नम्बर प्लेट।
7– रू0 1,570 रूपये नगद।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः

डलौना क्रासिंग अण्डर पास के नीचे, थाना क्षेत्र पी0जी0आई0 लखनऊ दिनांक 09–04–2025 समय 17.48 बजे।

जनपद लखनऊ व आस–पास के जनपदों में गैंग बनाकर लगातार लूट/डकैती करने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईओं/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक श्री दीपक कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि दिनांक 28–03–2025 को थाना विकासनगर जनपद लखनऊ में हुई लूट के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 46/25 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत हुआ था। अभिसूचना संकलन के क्रम में नि0 हेमन्त भूषण सिंह, उ0नि0 तेज बहादुर सिंह, उ0नि0 पीयूष पाठक, उ0नि0 हरीश कुमार सिंह चौहान, मु0आ0 पवन कुमार सिंह, मु0आ0 देवेन्द्र सिंह, मु0आ0 सरताज अहमद, मु0आ0 शिवानन्द शुक्ल, मु0आ0 कृष्णकान्त शुक्ल, मु0आ0 सुनील कुमार यादव, की टीम जनपद लखनऊ में भ्रमणशील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि विकास नगर में हुयी लूट की घटना में वांछित रु0 1,00,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी वैभव सिंह उपरोक्त के थाना क्षेत्र पी0जी0आई0 में किसी से मिलने आने की सूचना प्राप्त हुई।

प्राप्त सूचना के उपरान्त एस0टी0एफ0 टीम द्वारा इस सूचना को विकसित किया गया और तद्नुसार योजना बनाकर डलौना क्रासिंग के पास थाना क्षेत्र पी0जी0आई0 लखनऊ में हुई साहसिक मुठभेड़ के उपरान्त अभियुक्त वैभव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड के दौरान

अभियुक्त वैभव सिंह के पैर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार हेतु पी0जी0आई0 ट्रामा सेन्टर भेजा गया है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28–03–2025 को एक व्यवसायी से थाना क्षेत्र विकासनगर, लखनऊ में लूट की घटना हुई थी। इस घटना के सम्बन्ध में थाना विकासनगर में अभियोग पंजीकृत हुआ था। इस घटना में शामिल मुख्य साजिशकर्ता प्रेम बहादुर सिंह व उसके साथी सोनेन्द्र सिंह व गौरव मिश्रा को दिनांक 30–03–2025 को एसटीएफ टीम द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। साथ ही दिनांक 07–04–2025 को सुशील मिश्र (एक लाख रूपये का पुरस्कार घोषित) को जनपद–प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तो से पूछताछ पर ज्ञात हुआ था कि प्रेम बहादुर सिंह वर्ष–2023 में व्यवसायी पंकज अग्रवाल के यहां ड्राइवर का काम करता था, कुछ दिन काम करके छोड़ दिया। उसके बाद पिछले 01 महीने से फिर उनके यहां ड्राइवरी का काम करने लगा था। कई बार पंकज अग्रवाल अपने साथ कलेक्शन के काफी रूपये लेकर आते जाते थे, जिसे यह देखता रहता था। इसके अलावा उनका मुनीम अमित सैनी, पंकज अग्रवाल के अलग अलग स्टोर व अन्य स्थानों से रूपये अपनी बाइक से इकठ्ठा करता था, उसके बारे में भी इसको प्रेम बहादुर सिंह को जानकारी थी। उस पैसे को लूटने के लिए उसने अपने चचेरे भाई सोनेन्द्र सिंह (पूर्व में गिरफ्तार) के साथ प्लान बनाया। सोनेन्द्र सिंह ने कहा कि यह काम एक आदमी का नहीं है इसके लिए 4–5 आदमियों की जरूरत पडेगी। इसके बाद सोनेन्द्र ने वैभव सिंह व अन्य आदमियों को तैयार किया। प्रेम बहादुर सिंह ने सोनेन्द्र सिंह को रूपये लाने वाले आदमी के बारे में व मोटरसाइकिल का नम्बर बताया और सोनेंद्र ने वैभव सिंह व इसके अन्य साथियो को घटना करने के लिए सारी जानकारी दिया। वैभव सिंह उपरोक्त कई अपराधों में लगभग 08 वर्ष जनपद हरदोई व सीतापुर जेल में बन्द था। इस घटना को अंजाम देने के लिए वैभव सिंह ने सुशील मिश्रा के साथ मिलकर अन्य साथियों को बुलाया था। जिसके बाद वैभव उपरोक्त सोनेन्द्र, सतीश सिंह अनुज मौर्या, गौरव मिश्रा व सुशील मिश्रा ने रेकी करके लूट की घटना को अंजाम दिया था।

<u>वैभव सिंह का आपराधिक इतिहास निम्नवत् हैः–</u>

- वर्ष–2014 में जनपद हरदोई में प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद बनकर कई कोटेदारों से वसूली किया था, जिस सम्बन्ध में इसके विरूद्ध थाना बघौली, जनपद हरदोई में अभियोग पंजीकृत हुआ था।
- वर्ष–2016 में सेक्स रैकेट चलाने के अपराध में थाना कोतवाली नगर, जनपद सीतापुर में इसके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था।
- वर्ष–2020 में थाना क्षेत्र पारा, जनपद लखनऊ में अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया था।
- वर्ष–2021 में लूट की घटना किया था जिस सम्बन्ध में थाना क्षेत्र कोतवाली शहर, जनपद हरदोई में अभियोग पंजीकृत है।
- वर्ष–2024 में एक मकान में चोरी की घटना किया है जिसमें थाना क्षेत्र जानकीपुरम, लखनऊ में अभियोग पंजीकृत है। इस अभियोग में यह वांछित चल रहा था, इसके विरूद्ध मा0 न्यायालय द्वारा एनबीडब्लू भी जारी है।
- दिनांक 28–03–2025 को थाना क्षेत्र विकासनगर में अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया था जिसमें इसके विरूद्ध विकासनगर में अभियोग पंजीकृत है तथा इसके गिरफ्तारी हेतु रू0 01 लाख का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना पीजीआई, जनपद–लखनऊ में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है।